<u>रिजस्ट्री संग् डी॰ एल॰-33004/99</u>

दिवाकी जिल्लाम् को प्राप्त ।

6-9-04 REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रभा र

प्राथम वितरण गरू

अगरत का

राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग Ⅱ—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY PO-252

EM. 30

Dept. 02

CPB. 220

सं. 108] No. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

(g

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

प्रभारी रा• वि० एकक

स्टाम्प

का.आ. 130(अ).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899(1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 198(अ) दिनांक 16 मार्च,1976 एवं का.आ. सं. 199(अ) दिनांक 16 मार्च, 1976 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण के पहले की गई अथवा न की गई चीज़ों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि दिनांक 1 मार्च, 2004 से अधिनियम की अनुसूची - । में अनुच्छेद 13,14,27,37,47,49,52 एवं 62 (क) में कॉलम (1) के अन्तर्गत उल्लिखित लिखतों पर प्रभार्य समुचित स्टाम्प शुल्क नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट होगा, नामतः-

तालिका

| लिखत का वर्णन | समुचित स्टाम्प शुल्क |
|--|----------------------|
| (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 में यथा-विनिर्दिष्ट) | |
| (1) | (2) |
| 13. धारा 2 (2) द्वारा यथा- परिभाषित विनिमय पत्र जो एक बॉण्ड, बैंक नोट अथवा करेंसी नोट नहीं | |
| हो - | |
| (ख) जहां मांग पर से भिन्न रुप में देय हो - | |
| | |
| (i) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से तीन महीने से अनिधक समय तक देय हो - | |
| यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ; | तीस पैसे |
| यद पत्र अथवा नाट का साहा ५०० रुपय स आवक नहां हा र | |
| यदि यह 500 रुपये से अधिक हो परन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो : | साठ पैसे |
| जाद जह 500 राजन रा जानन स्टानर सु १००० र १७ म जनक र | |
| और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपये अथवा 1000 रुपये से अधिक के इसके किसी भाग के लिए: | साठ पैसे |
| | |

शुल्क का वहन प्रत्येक

भाग पर होना चाहिए ।

(ii) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से तीन महीने से अधिक परन्तु छः महीने से अनिधक समय तक देय हो -साठ पैसे यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ; एक रुपया बीस पैसे यदि यह 500 रुपये से अधिक हो परन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो ; एक रुपया बीस पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपये अथवा 1000 रुपये से अधिक के इसके किसी भाग के लिए; (iii) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से छः महीने से अधिक परन्तु नौ महीने से अनिधक समय तक देय हो -नब्बे पैसे यदि पत्र अथवा नोट की राशि 500 रुपये से अधिक नहीं हो ; एक रुपये अस्सी पैसे यदि यह 500 रुपए से अधिक है परन्तु 1000 रुपए से अनिधक है; एक रुपये अस्सी पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए ; (iv) जहां तारीख अथवा दृष्टिगोचर होने से 9 माह से अधिक समय से देय परन्तु एक वर्ष से कम समय तक देय हो -एक रुपये पच्चीस पैसे यदि बिल अथवा नोट की धनराशि 500 रुपसे से अनिधक है; दो रुपये पचास पैसे यदि यह 500 रुपये से अधिक है परन्तु 1000 रुपऐ से अनिधक है; और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए दो रुपये पचास पैसे (ग) जहां तारीख अथवा स्थान के बाद एक वर्ष से अधिक की अविध तक संदेय दो रुपये पचास पैसे यदि बिल अथवा नोट की धनराशि 500 रुपये से अनिधक है; पांच रुपये यदि यह 500 रुपए से अधिक है परन्तु 1000 रुपए से अनिधक है; और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 रुपए अथवा 1000 रुपए से अधिक इसके किसी भाग के लिए । पांच रुपये एक रुपया 14. लदान पत्र (लदान पत्र के माध्यम सहित) ध्यान दें - यदि लदान पत्र का आहरण भागों में (क) लदान पत्र यदि उसमें वर्णित सामान को भारतीय पत्तन अधिनियम,1889(1889 का 10) के किया जाता है तो उचित अन्तर्गत यथा-निर्धारित की पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर प्राप्त किए जाते हैं और

उसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनकी सुपुर्दगी की जानी होती है ;

सम्पत्ति से संबंधित है

(ख) लदान पत्र जब भारत से बाहर निष्पन्न किया जाता है और यह भारत में सौंपी जाने वाली

| 27. ऋणपत्र | | | | | |
|--|--|---|--------|---------------|----------------------|
| (क) बेचान । जहां धनरार्ग जहां यह | द्वारा अथवा अन्त शे अथवा मूल्य 10रु. | तरण के अलग पत्र द्वारा - 10 रुपये से अनधिक है : से अधिक है और | 50ক. | से अनधिक है ; | दस पैसे बीस पैसे |
| तदैव | 50र ू . | तदैव | 100ক. | तदैव | पैंतीस पैसे |
| तदैव | 100ক. | तदैव | 200ক. | तदैव | पचहत्तर पैसे |
| तदैव | 200ক. | तदैव | 300ক. | तदैव | एक रुपया दस पैसे |
| - तदैव | 300ক. | तदैव | 400ক. | तदैव | एक रुपया पचास पैसे |
| तदैव | 400ক. | तदैव | 500ক. | तदैव | एक रुपया पचासी पैसे |
| तदैव | 500ব্স. | तदैव | 600ক. | तदैव | दो रुपये पच्चीस पैसे |
| तदैव | 600ক. | तदैव | 700ক. | तदैव | दो रुपये साठ पैसे |
| तदैव | 700ক. | तदैव | 800ক. | तदैव | तीन रुपये |
| तदैव | 800ক. | तदैव | 900₹5. | तदैव | तीन रुपये चालीस पैसे |

| तदैव | 90 | 00 | तदैव | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1000 | तीन रुपये पचहत्तर पैसे |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1000 ক | . से अधिक | एक रुपये पच्चासी पैसे | | | | |
| (ख) सुपूर्व | गी द्वारा- | | | | | |
| | | ज्य गए ऋणपत्र के | लिए प्रतिप | कल मूल्य | या राशि 50 | पैतीस पैसे |
| रु. से अधि | ्रक न हो | | | | | |
| | | | | | | |
| जहां यह | 50 | रु. से अधिक हो | लेकिन ' | 100 ক. | से अधिक न हो | पचहत्तर पैसे |
| तदैव | 100 | तदैव | | 200 | तदेव | एक रुपये पचास पैसे |
| तदेव | 200 | तदैव | | 300 | तदेव | दो रुपये पच्चीस पैसे |
| तर्देव | 300 | तदैव | | 400 | तदैव | तीन रुपये |
| तदैव | 400 | तदैव | | 500 | तदैव | तीन रुपये पचहत्तर पैसे |
| तदैव | 500 | तदैव | | 600 | तदैव | चार रुपये पचास पैसे |
| तदैव | 600 | तदैव | | 700 | तदैव | पांच रुपये पच्चीस पैसे |
| तदैव | 700 | तदैव | | 800 | तर्दैव | छ: रुपये |
| तदैव | 800 | तदैव | | 900 | तदैव | छ: रुपये पचहत्तर पैसे |
| तदैव | 900 | तदैव | | 1000 | तदैव | सात रुपये पचास पैसे |
| 1000 | रु. से अधि | रक प्रत्येक 500 | रु. या उस | के किसी | भाग के लिए | तीन रुपये पचहत्तर पैसे |
| | | | | | | |
| व्याख्या | - "ऋणपत्र | <mark>।" पद में इसके सा</mark> | ाथ संलग्न | ब्याज कूप | न शामिल हैं | |
| लेकिन रे | रसे कूपनों | की राशि शुल्क वे | ⁵ आकलन | में शामिल | न नहीं होगी । | |
| | | खूट | , | | | |
| | | | | | | |
| | नगमित कंप | | | | | |
| | या गया ऋष | | | | | |
| पूरी राष्ट्रि | ा के संदर्भ | | | | | |
| | | िया हिस्से में उन | | | पत्र धारको के | |
| लाभ के | लिए न्यासि | | | | | |

| बशर्ते कि इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों का उक्त बंधक-पत्र के रूप में जारी किया जाना स्पष्ट किया गया हो । | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| | <u> </u> | |
| 37. साखपत्र, का तात्पर्य, कोई दस्तावेज जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति को उद्यार देने के लिए प्राधिकृत करता है जिसके पक्ष में यह लिखा जाता है । | एक रुपया | ` |
| ' | | |
| 47. बीमा पॉलिसी | | |
| | | |
| क. समुद्री बीमा [भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का 2) की | यदि अकेले ही | यदि |
| धारा 7 देखें] | खींचा गया हो | प्रत्येक |
| | | भाग के |
| | | लिए |
| | | 1 |
| | | दोहरा |
| | | खींचा |
| |] | गया हो |
| | 1 | गपा हो |
| (1) के लिए या अन्य यात्रा के बाद | | |
| (i) जहां प्रीमियम या प्रतिफल पालिसी द्वारा बीमित राशि के 1/8 प्रतिशत | पांच पैसे | पांच पैसे |
| की दर से अधिक न हो | |] " |
| | | |
| (ii) अन्य मामले में, पालिसी द्वारा जारी एक हजार पांच सौ रुपये की | पांच पैसे | पांच पैसे |
| प्रत्येक पूर्ण राशि तथा एक हजार पांच सौ रुपये के आंशिक भाग के संदर्भ | | |
| में | | l' |
| | | |
| (2) समय के लिए, | | |
| (iii) एक हज़ार रुपये की प्रत्येक पूरी राशि तथा पॉलिसी द्वारा बीमित | | |
| एक हजार रुपये की किसी अंशीय भाग के संबंध में- | | |
| Car Court cold an lastit Oldina till av (lace i | | 1 |
| | | |
| जहाँ बीमा छ: माह से अनधिक किसी समय के लिए किया जाएगा; | दस पैसे | पाँच पैसे |
| | | 1 |
| जहाँ बीमा छ: माह से अधिक तथा 12 माह से अनिधक किसी समय के | दस पैसे | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | दस पस | पाँच पैसे |
| लिए किया जाएगा । | | |
| ख- अग्नि -बीमा तथा बीमा के अन्य वर्ग, जिसे इस अनुच्छेद में कहीं | | |
| और शामिल नहीं किया गया है, क्षति अथवा नुकसान के विरुद्ध किसी | | |
| | | |
| सम्पत्ति तथा माल, सौदा, व्यक्तिगत माल तथा फसल को शामिल करते | | |
| हुए - | | |
| (1) किसी मूल पॉलिसी के संबंध में; | | |
| • | | 1 1 |
| (i) जब बीमित राशि पाँच हज़ार रुपये से अधिक न हो; | पच्चीस पैसे | |
| (ii) किसी अन्य मामले में; तथा | पचास पैसे | 1 |
| * | - | |
| (2) किसी पत गॉकिसी के किसी परीकरण पर गीरियन | | -> |
| (2) किसी मूल पॉलिसी के किसी नवीकरण पर प्रीमियम | उक्त राशि यदि व | |
| के किसी भुगतान के लिए प्रत्येक आवती के संबंध में। | अतिरिक्त संख्य | T 53 के |
| | अंतर्गत मूल प् | लिसी के |
| | , | |
| | संबंध में देय | सुत्कः क। |
| | आधा। | |

| ∐—खण्ड 3(ii)] | | |
|--|------------------|-------------------|
| — चर्चिम क्या क्याता होसा- | | |
| ग- दुर्घटना तथा रुग्णता बीमा- | पाँच पैसे | |
| (क) रेलवे दुर्घटना के विरुद्ध एकल यात्रा के लिए ही वैध | ., . | Ì |
| छूट | | 1 |
| जब किसी रेलवे में मध्यवर्ती अथवा तीसरे दर्जे द्वारा यात्रा कर रहे किसी | | |
| शेख किसी रहात से किसमा | | |
| यात्री को जारी किया गया हो; | | |
| | दसः पैसे | |
| (ख) किसी अन्य मामले में - अधिकतम राशि के लिए जो किसी एकल | GET AVI | |
| ्रिक्ट अध्या काणावा के मामले में देय हो सकती है जहाँ एसा राशि एक | | |
| हज़ार रुपये से अधिक नहीं है और यह भी कि जहाँ ऐसी राशि एक हज़ार | बशर्ते कि दुर्घट | ना द्वारा मृत्यु |
| हज़ार रुपय से आधक नहां है जोर यह मा विकास उसके किसी भाग के | के विरुद्ध बीग | नाकी किसी |
| रुपये से अधिक है, प्रत्येक एक हजार रुपये अथवा उसके किसी भाग के | पॉलिसी के म | गमले में जब |
| लिए । | देय वार्षिक | भीताम पवि |
| | | |
| | एक हजार पर | 2.5U रुपय |
| | से अधिक न | नहीं है, ऐसे |
| | लिखत पर शु | क्त प्रत्येक एक |
| | S | ाये अथवा |
| | | • • |
| · | अधिकतुम रा | शंक भाग क |
| | लिए पाँच पै | से होगा जो |
| | इसके अंतर्गत | देय हो सकता |
| | 18 | |
| | 1 | |
| ग ग- बीमाकर्ता द्वारा अथवा उसके अधीन नियोजित कामगारों को हुई | पाँच पैसे | |
| दुर्घटना के कारण हर्जाना देने के लिए देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में | | |
| बीमा, अथवा प्रीमियम के रूप में देय प्रत्येक 100 रुपये अथवा उसके | | ľ |
| बामा, अथवा प्रामियम के रेल में देव प्रतिक 1000 (1003 का | | |
| किसी भाग के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का | | |
| 8) के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए देयता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में | | |
| बीमा । | | |
| Sivil ! | | |
| ० ० का के का निर्मा को मेर्च मन्त्रीया | यदि एकल | यदि प्रत्येक |
| घ. जीवन बीमा अथवा समूह बीमा अथवा अन्य बीमा जो ऐसे पुनर्बीमा | रुप में दिया | भाग अनुलिपि |
| को छोड़कर जिसकी विशेष रुप सेस व्यवस्था न की गई हो, जैसा कि इस | 1 _ | |
| अनुच्छेद के भाग इ. में बताया गया है - | गया हो । | में लिया गया |
| | | हो । |
| | 1 | |
| | दस पैसे | पांच पैसे |
| (i) बीमित की गई प्रत्येक राशि के लिए जो 250/-रु. से अधिक नही | वस परा | 11471 |
| हो; | | |
| \sim | दस पैसे | पांच पैसे |
| | | |
| लेकिन 500/-रु. से अनिधक हो ; | बीस पैसे | दस पैसे |
| (iii) बीमित की गई प्रत्येक राशि के लिए जो 500/-रु. से अधिक हे | 1 | अश्च नश |
| लेकिन 1000/-रु. से अनिधक हो तथा प्रत्येक 1000/-रु. के लिए | Į į | |
| अथवा 1000/- से अधिक भाग के लिए भी । | | |
| अथवा 1000/- त जावक मध्य के लिंद मा | | |
| | विकासकी अ | । दि समूह बीमा |
| | | |
| | े का पालिसी | का नवीनीकरण |

किया जाता है अथवा अन्यथा इसमें संशोधन किया जाता है जहाँ यह बीमा राशि पहले बीमा की गई राशि से अधिक हो-जाती है जिस पर स्टाम्प शुक्क अदा किया गया है, तो बीमा की गई अधिक राशि पर उचित स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।

छुट

केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी के अधीन जारी डाक जीवन बीमा के नियमों के अनुरुप डाकघर महानिदेशक द्वारा दी गई जीवन बीमा की पॉलिसी।

ह. एक बीमा कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा जिसने बीमित राशि के कितपय भाग के मूल बीमा पर भुगतान के प्रति क्षितिपूर्ति अथवा वचनबद्धता द्वारा दूसरी कम्पनी के साथ इस अनुच्छेद के भाग क अथवाभाग ख में विनिर्दिष्ट स्वरुप की पॉलिसी प्रदान की है।

मूल बीमा के संबंध में देय शुक्क का एक चौथाई परन्तु पांच पैसे से कम नहीं अथवा पचास पैसे से अधिक नहीं।

इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि देय शुल्क की कुल राशि पांच पैसे के गुणक में नहीं है तो कुल राशि को पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणक में पूरा कर दिया जाएगा।

सामान्य छूट

बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए आवरण अथवा वचनबद्धता पत्र :-इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे वचनबद्धता पत्र में जब तक ऐसी पॉलिसी के लिए इस अधिनियम द्वारा निर्धारित स्टाम्प नहीं लगाए जाएं इसके अंतर्गत कोई दावा नहीं किया जाएगा और न ही इसमें उल्लिखित पॉलिसी की सुपुर्दगी को बाध्य करने को छोड़कर यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपलब्ध होगी।

- 49. वचन पत्र (धारा 2(22) द्वारा यथा परिभाषित) जब माँग पर देय हो -
- (i) जब राशि अथवा मूल्य 250/-रु. सेअधिक नहीं हो

पाँच पैसे

| The state of the s | |
|--|----------------------------|
| (ii) जब राशि अथवा मूल्य 250/-रु. से अधिक हो लेकिन 1000/-रु से अनिधक हो | दस पैसे |
| (iii) किसी अन्य मामले में ; | पन्द्रह पैसे |
| | देय उसी राशि के लिए ऐसा |
| (ख) जब माँग से भिन्न देय हो | |
| | विनियम पत्र (संख्या 13) |
| | जो कि माँग से भिन्न पर देय |
| | हों, के रुप में वहीं शुल्क |
| | देय। |
| 52. किसी जिले अथवा स्थानीय बोर्ड अथवा नगर पालिका आयुक्तों के किसी निकाय के सदस्यों के किसी एक चुनाव के समय मतदान करने वे लिए किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने वाला प्रतिपत्र अथवा (क) किसी निगमित कम्पनी के सदस्यों की किसी एक बैठक अथवा अन्य निगमित निकाय जिसके स्टॉक अथवा निधियाँ शेयरों में विभाजित है अथवा हैं तथा अन्तरणीय, (ख) स्थानीय प्राधिकारी, अथवा (ग) प्रोप्राइटर्स किसी संस्था की निधियों के सदस्य अथवा अंशदाता की किसी एक बैठक में। | • |
| | |
| 62. अन्तरण (प्रतिफल सहित अथवा उसके बिना) - | प्रत्येक सौ रुपये अथवा |
| | |
| (क) किसी निगमित कम्पनी अथवा अन्य निगमित निकाय में शेयरों | |
| का, | भाग के लिए पच्चीस पैसे। |
| | |

वशर्ते कि अनुच्छेद 13 में मद (ख) तथा (ग) के लिए विनिमय पत्र पर तथा अनुच्छेद 49 की मद (ख) के लिए वचन पत्र पर कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क की दरें (क) यथार्थ वाणिज्यिक अथवा व्यापार संव्यवहार, (ख) मौसमी कृषि कार्यों अथवा फसलों के विपणन अथवा (ग) कुटीर एवं लघु उद्योंगों की विपणन गतिविधियों अथवा उत्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगमों, वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किए गए अथवा लिए गए विनिमय पत्रों अथवा वचन पत्रों को जारी करने के लिए लागू नहीं होंगी तथा ऐसे लिखतों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 49 में मद (ख) तथा अनुच्छेद 13 में मद (ख) तथा (ग) के सामने उल्लिखित दर के पांचवें भाग पर स्टाम्प शुल्क की दर वहन करनी पड़ेगी।

स्पष्टीकरण 1 - परन्तुक के प्रयोजनार्थ -

(क) "कृषि प्रचालनों" की अभिव्यक्ति में पशु पालन तथा कृषि संबंधी प्रचालनों के साथ संयुक्त रूप से की गई सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं;

- (ख) "फसलों" में कृषि संबंधी प्रचालनों के उत्पाद शामिल हैं ;
- (ग) "फसलों का विपणन" की अभिव्यक्ति में कृषि उत्पादकों तथा ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा विपणन से पूर्व फसलों को संसाधित करना शामिल है।

स्पन्टीकरण 2 - प्रभार्य शुल्क, जहाँ कहीं आवश्यक हो, अगले पाँच पैसे में मिला दिया जाएगा।

> [फा. सं. 33/60/2004-बि.क.] सुधीर राजपाल, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) ORDER

New Delhi, the 28th January, 2004

STAMPS

S.O. 130(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notifications of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3 vide numbers S.O.198 (E) dated the 16th March, 1976 and S.O.199(E) dated the 16th March, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that with effect from 1st March, 2004, the proper stamp duty chargeable on instruments, mentioned under column (1) in articles 13, 14, 27, 37, 47, 49, 52 and 62 (a) in the Schedule I of the Act, shall be reduced and stamp duty payable thereon, after such reduction, shall be as specified in the Table given below, namely:

TABLE Proper Stamp-Duty Description of the Instrument (as specified in Schedule I to the Indian Stamp Act, 1899) **(2)** 13. Bill of Exchange as defined by section 2(2) not being a BOND, bank-note or currency note-(b) where payable otherwise than on demand -(i) where payable not more than three months after date or sight -Thirty paise. if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500; Sixty paise. if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000; and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Sixty paise. Rs.1,000; (ii) where payable more than three months but not more than six months after date or sight -Sixty paise. if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500;

| - | if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000; | One rupee twenty paise. |
|---|--|--|
| | | |
| | and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000; | One rupee twenty paise. |
| - | (iii) where payable more than six months but not more than nine months after date or sight - | |
| | if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500; | Ninety paise. |
| | if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000; | One rupee eighty paise. |
| | and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000; | One rupee eighty paise. |
| | (iv) where payable more than nine months but not more than one year after date or sight - | |
| | if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500; | One rupee twenty five paise. |
| | if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000; | Two rupees fifty paise. |
| | and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000; | Two rupees fifty paise. |
| | (c) where payable at more than one year after date or sight- | |
| | if the amount of the bill or note does not exceed Rs.500; | Two rupees fifty paise. |
| | if it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.1,000; | Five rupees. |
| | and for every additional Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000. | Five rupees. |
| | | |
| | 14.Bill of Lading (including a through bill of lading) | One rupee. N.B If a bill of lading |
| | Exemptions | drawn in parts, the proper stamp therefore |
| | (a) Bill of lading when the goods therein described are received at a place within the limits of any port as defined under the Indian Ports Act, 1889 (10 of 1889), and are to be delivered at another | must be born by each one of the set. |
| | place within the limits of the same port; | |
| | (b) Bill of lading when executed out of India and relating to property to be delivered in India. | |
| | 27. Debenture (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable— (a) by endorsement or by a separate instrument of transfer— | |
| | where the amount or value does not exceed Rs.10; | Ten paise. |
| | where it exceeds Rs.10 and does not exceed Rs.50; | Twenty paise. |

209 65/24-2

| Ditto | 50 | Ditto | 100; | Thirty five maion |
|---|--------------|--------------------|---------------------------------|---|
| | | | 1 1009 | Thirty five paise. |
| Ditto. | 100 | Ditto | 200; | Seventy five paise. |
| Ditto | 200 | Ditto | 300; | One rupee ten paise. |
| Ditto | 300 | Ditto | 400; | One rupee fifty paise. |
| Ditto | 400 | Ditto | 500; | One rupee eighty five paise. |
| Ditto | 500 | Ditto | 600; | Two rupees twenty five paise. |
| Ditto | 600 | Ditto | 700; | Two rupees sixty paise. |
| Ditto | 700 | Ditto | 800; | Three rupees. |
| Ditto | 800 | Ditto | 900; | Three rupees forty paise. |
| Ditto | 900 | Ditto | 1000; | Three rupees seventy five paise. |
| and for every Rs.50 | 0 or part th | nereof in excess o | fRs.1,000; | One rupee eighty five paise. |
| where the amount of as set forth therein of where it exceeds Rs | loes not ex | ceed Rs.50; | n for such debenture Rs.100; | Thirty five paise. Seventy five paise. |
| Ditto | 100 | Ditto | 200 | One rupee fifty paise. |
| | 200 | Ditto | 300 | Two rupees twenty five paise. |
| Ditte | 300 | Ditto | 400 | Three rupees. |
| Ditto | 400 | Ditto | 500 | Three rupees seventy five paise. |
| Ditto : | 500 | Ditto | 600 | Four rupees fifty paise. |
| Ditto | 500 | Ditto | 700 | Five rupees twenty five paise. |
| | 700 | Ditto | 800 | Six rupees. |
| Ditto | 800 | Ditto | 900 | Six rupees seventy five paise. |
| Ditto | 900 | Ditto | 1000 | Seven rupees fifty paise. |
| And for every Rs.5 | 00 or part, | thereof in excess | of Rs.1,000. | Three rupees seventy five paise. |
| Explanation The attached thereto by included in estimating | | | | |
| A debenture issued corporate in terms of respect of the full | | | | |
| whereby the compa in part, their prope holders: Provided that the de terms of the said mo | | | | |
| 37. Letter of Cree person authorizes a favour it is drawn. | | | | |

| 47. Policy of Insurance | If drawn | If drawn |
|--|-----------------|--------------|
| A Sea Insurance [see section 7 of Indian Stamp Act, 1899 (2 of | | in |
| 1899)] | | duplicate |
| | | for each |
| | | part |
| | | |
| | | |
| (1) for or upon any voyage – | | |
| | f | |
| (i) where the premium or consideration does not exceed the rate of | Five paise. | Five paise. |
| one-eighth per centum of the amount insured by the policy; | | |
| | | |
| (ii) in any other case, in respect of every full sum of one thousand | Five paise. | Five paise. |
| five hundred rupees and also any fractional part of one thousand | • | |
| five hundred rupees insured by the policy; | | |
| | | |
| | | |
| (2) for time – | : | |
| (iii) in respect of every full sum of one thousand rupees and also | | |
| any fractional part of one thousand rupees insured by the policy- | | ÷ |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | | 1 |
| where the insurance shall be made for any time not exceeding six | Ten paise. | Five paise. |
| months; | Jen puise. | a ive parse. |
| , | | |
| where the insurance shall be made for any time exceeding six | Ten paise | Five paise. |
| months and not exceeding twelve months. | ren paise | rive paise. |
| months and not exceeding twelve months. | 1 | 1 |
| B FIRE-INSURANCE AND OTHER CLASSES OF | | |
| | | |
| INSURANCE, NOT ELSEWHERE INCLUDED IN THIS ARTICLE, COVERING GOODS, MERCHANDISE, PERSONAL | - | |
| EFFECTS, CROPS, AND OTHER PROPERTY AGAINST LOSS | | |
| OR DAMAGE- | | |
| (1) in respect of an original policy- | | į |
| (1) in respect of an original policy- | • | |
| (i) when the sum insured does not exceed Rs.5,000; | T | |
| (ii) in any other case; and | Twenty five | paise. |
| (ii) in any other case, and | Fifty paise. | |
| (2) in respect of each receipt for any and of | 0 1 10 | |
| (2) in respect of each receipt for any payment of a premium on any | | of duty |
| renewal of an original policy. | payable in | |
| | the original | |
| | addition to the | |
| | | chargeable |
| C ACCIDENT AND SICKENSS INSURANCE- | under No.53. | |
| | | j |
| (a) against railway accident, valid for a single journey only. | Five paise. | |
| Exemption | | |
| When issued to a passenger travelling by the intermediate or the | | |
| third class in any railway; | | |
| (h) in any other case Court | on . | |
| (b) in any other case – for the maximum amount which may | Ten paise. | |
| become payable in the case of any single accident or sickness where | | |
| such amount does not exceed Rs.1,000, and also where such | Provided that | · . |
| amount exceeds Rs.1,000, for every Rs.1,000 or part thereof. | of a policy of | |
| | | eath by |
| | | hen the |
| | annual p | oremimum |
| | | |

the total amount shall be rounded off to the

| _ | THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINA | RY | PART II— | - |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | exceed F | does not Rs,2.50 per | |
| | | such instr | the duty on ument shall ise for every | |
| | | Rs.1,000 thereof | or part of the | |
| | | maximum which m payable un | amount ay become | |
| | CCINSURANCE BY WAY OF INDEMNITY against liability to | Five paise. | | |
| | pay damages on account of accidents to workmen employed by or under the insurer or against liability to pay compensation under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), for every Rs.100 or part thereof payable as premium. | , | | |
| ľ | D LIFE INSURANCE OR GROUP INSURANCE OR OTHER | If drawn | If drawn in | |
| | INSURANCE NOT SPECIFICALLY PROVIDED FOR, except such a RE-INSURANCE, as is described in Division E of this article— | singly | duplicate for each part | |
| | | | F: | |
| | (i) for every sum insured not exceeding Rs.250; | Ten paise. | Five paise. | |
| | (ii) for every sum insured exceeding Rs.250 but not exceeding Rs.500; | Ten paise. | Five paise. | |
| | (iii) for every sum insured exceeding Rs.500 but not exceeding Rs.1,000 and also for every Rs.1,000 or part thereof in excess of Rs.1,000. | Twenty paise. | Ten paise. | |
| 1 | | ·NDA If | a policy of | |
| | | | surance is | |
| l | | ~ . | r otherwise | |
| | | modified v | whereby the | |
| | | | ed exceeds | |
| | | | previously | |
| | | | on which has been | ٠ |
| | | | roper stamp | |
| | | | orne on the | |
| l | a a company of the co | excess sum | so insured. | |
| | Exemption | | | |
| | Policies of life-insurance granted by the Director General of Post Offices in accordance with rules for Postal Life-Insurance issued under the authority of the Central Government. | | | |
| ٢ | E RE-INSURANCE BY AN INSURANCE COMPANY, which | One-quarte | r of the duty | |
| | has granted a POLICY of the nature specified in Division A or | payable in | respect of | |
| | Division B of this Article, with another company by way of | | l insurance | |
| | indemnity or guarantee against the payment on the original insurance of a certain part of the sum insured thereby. | | ss than five ore than fifty | |
| - | misurance of a certain part of the sum institute increoy. | paise of fix | ne man nity | |
| | | Provided | that if the | |
| | | | inat if the | |
| - | | payable | is not a | |
| | | | f five paise, | |

| | next higher multiple of five paise. |
|---|---|
| General Exemption | |
| Letter of cover or engagement to issue a policy of insurance: | C |
| Provided that, unless such letter of engagement bears the star prescribed by this Act for such policy, nothing shall be claimal thereunder, nor shall it be available for any purpose, except, compel the delivery of the policy therein mentioned. | ole |
| 49. Promissory Note (as defined by section 2(22) – When payable on demand – | |
| (i) when the amount or value does not exceed Rs.250; | Five paise. |
| (ii) when the amount or value exceeds Rs.250 but does not exceed Rs.1,000; | ed Ten paise. |
| (iii) in any other case; | Fifteen paise. |
| (b) when payable otherwise than on demand. | The same duty as a Bill of Exchange (No.13) |
| | for same amount payable otherwise than on demand. |
| 52. Proxy empowering any person to vote at any one election of the members of a district or local board or of a body of municipal commissioners, or at any one meeting of (a) members of a | al ın |
| incorporated company or other body corporate whose stock of funds is or are divided into shares and transferable, (b) a local authority, or (c) proprietors, members or contributors to the funds of any institution. | al 🀞 |
| 62. Transfer (whether with or without consideration)- | |
| (a) of shares in an incorporated company or other body corporate; | Twenty five paise for every hundred rupees or part thereof of the value of the share: |

Provided that rates of stamp duty specified in column (2) on Bills of Exchange for items (b) and (c) in Article 13 and on promissory note for item (b) of Article 49 shall not apply to usance bills of exchange or promissory notes drawn or made for securing finance from Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporations, Commercial Banks and Cooperative Banks for (a) bonafide commercial or trade transactions, (b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or (c) production or marketing activities of cottage and small scale industries and such instruments shall bear the rate of stamp duty at one-fifth of the rate mentioned against items (b) and (c) in Article 13 and item (b) in Article 49 of Schedule I of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

Explanation 1.- For the purposes of the proviso-

- (a) the expression "agricultural operations" includes animal husbandry and allied activities jointly undertaken with agricultural operations;
- (b) "crops" include products of agricultural operations;
- (c) the expression "marketing of crops" includes the processing of crops prior to marketing by agricultural producers or any organization of such producers.

Explanation 2. - The duty chargeable shall, wherever necessary, be rounded off to the next five paise.

[F. No. 33/60/2004-ST]

SUDHIR RAJPAL, Dy. Secy.